तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1516/2005/चितौडगढ भवानीलाल बनाम कैलाशचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री एम..एल. गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता,
अप्रार्थीगण संख्या–6

निर्णय

दिनांक 13.02.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बेगू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर ने प्रार्थीगण प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादीगण ने अपने वाद में यह दादरसी चाही कि प्रतिवादी संख्या–7 को आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रतिवादी संख्या–4 लगायत 6 द्वारा दिनांक 11–1–2002 को प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 द्वारा अवैध व शून्य विक्रयपत्र के द्वारा क्रय की गयी आराजी का नामान्तरकरण नहीं करे एवं राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं करे। उनका कथन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 11–1–2002 को वादीगण को अवैध व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1516/2005/चितौडगढ भवानीलाल बनाम कैलाशचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शून्य विक्रयपत्र मानने अधिकार नहीं था तथा ना ही राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार रखती है। इस तथ्य को समझने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों एवं उक्त विधिक तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या–6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में विधिसम्मत् निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं मूल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1516/2005/चितौडगढ भवानीलाल बनाम कैलाशचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर मूल वाद में तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दू निहित है, जिसका निर्धारण उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	